कार्यालय, प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर

पत्रांक–एएसएमसी गाजीपुर/विज्ञप्ति/2021–22/252 दिनांक 28.06.2021

विज्ञप्ति सूचना

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य एवं जे0आर0, एस0आर0 के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञप्ति।

एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 मानकों के पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय में आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य एवं जे0आर0, एस0आर0 के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवदेन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते है। इन पदों पर चयन, चयन समिति के द्वारा वाक–इन–इण्टरव्यू के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती कि वह साक्षात्कार हेतु दिनांक 02.07.2021 से प्रत्येक शुक्रवार को पदों के रिक्त रहने तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय (पुरुष), गोराबाजार, गाजीपुर में अपरान्ह 1.00 बजे अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध–पत्रों की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियों का एक सेट बायो–डाटा एवं अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित हों। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियॉ एवं नियुक्ति की शर्ते महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट http://dgmeup.in एवं एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज के वेबसाइट mlnmc.in तथा एन0आई0सी0 गाजीपुर के वेबसाइट ghazipur.nic.in पर उपलब्ध है।

क्र0 सं0	विशिष्टता	आचार्य		सह आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी
1	आर्थोपेडिक्स	--	--	01	SC	--	--
2	आप्थलमोलॉजी	--	--	--	--	--	--
3	आब्सटेट्रिक्स एवं गायनाकोलॉजी	01	SC	01	UR	01	UR
						01	OBC
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	--	--	01	OBC	01	UR
5	एनाटमी	--	--	--	--	01	SC
6	एनेस्थसीयोलॉजी	--	--	01	SC	01	OBC
				01	UR	01	UR
7	आटो–राइनों–लैरिंगोंलॉजी	--	--	--	--	01	OBC
8	कम्युनिटी मेडिसिन	--	--	--	--	01	EWS
9	जनरल मेडिसिन	01	OBC	01	OBC	01	UR
				01	UR		
10	जनरल सर्जरी	01	UR	01	OBC	01	UR
				01	EWS	01	UR
						01	UR
11	ट्यूबरकूलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन	--	--	01	SC	--	--
12	डर्मेटोलॉजी वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	--	--	01	UR	--	--
13	डेन्टिस्ट्री	--	--	--	--	--	--
14	पीडियाट्रिक्स	--	--	01	OBC	--	--
15	पैथोलॉजी	--	--	01	UR	--	--
16	फार्माकोलॉजी	--	--	01	SC	--	--
17	फिजियोलॉजी	01	SC	--	--	01	OBC
						01	EWS
18	फोरेन्सिक मेडिसिन	--	--	--	--	01	SC
19	बायोकेमिस्ट्री	--	--	01	OBC	01	UR
						01	OBC
20	माइक्रोबायोलॉजी	--	--	01	UR	--	--
21	रेडियो–डायग्नोसिस	--	--	01	OBC	01	SC
22	साइकियाट्री	--	--	01	EWS	--	--
	योग	04		18		17	

नोट–एनएमसी मानकों एवं एल0ओ0पी0 को दृष्टिगत रखते हुए आदि आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी से रिक्त पद को भरने पर विचार किया जायेगा।

संविदा पर नियुक्ति की शर्ते निम्नवत है–

1. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यो का नियत वेतन रु0 1,35,000/, सह–आचार्यों का नियत वेतन रु0 1,20,000/तथा सहायक आचार्यों का नियत वेतन रु0 90,000/माह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India Minimum Qualification for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998. द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताऍ एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।

2. शासनादेश सं0–2282/71–1–2013–जी0–11/2011 दिनांक 23.09.2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश सं0–562/71–1–2020–जी0–63/2008 दिनांक 10.06.2021 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह–आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव Autonomous State Medical College, Uttar Pradesh Principal and Teacher's (Recruitment & other Conditions of Services) Model Rules 2020 में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
5. ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नही करेगें।
6. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
7. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बंध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नही करेगा।
8. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवायें के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
9. उक्त नियम वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नही होगें।
10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकें के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बंधित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्ति ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बंधी सुविधाओं का हकदार नही होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई कोई बोनस देय नही होगें।
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नही होगें।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नही करेगें और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुबन्ध होगी।
17. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नही है। यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
18. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0–1/2019/4/1/2002/का–2/19टी0सी0–2 दिनांक 18.02.2019 के अन्तर्गत ई0डब्लू0एस0(आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु की वार्षिक आय रु0 08 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बंधित क्षेत्र के तहसीलदार से ....अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बंध में विस्तृत नेट पर देखा जा सकता है।
19. पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
20. उक्त साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।

(हस्ताक्षर) 28/6/2021

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी,
गाजीपुर

पत्रांक–एएसएमसी गाजीपुर/विज्ञप्ति/2021–22 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6ठॉ तल, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
4. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को अपने चिकित्सालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।

(हस्ताक्षर) 28/6/2021

प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी
गाजीपुर

AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, GAZIPUR

Application Format

Advertisement Number and Date...

Post...(The Post for which the application is being made)

Self Attested Photo

Note: - All information must be completed by the applicant.

31-Name of Applicant..

32-Male / Female..

33-Father / Husband's Name (including Surname)............................

34-Present Address of Residence (including PIN code)...

....

....

Name of the City.................................. Phone No...

Mobile Number ....Email ID..

35-Permanent address...

....

Name of the City................................ Phone No..

Mobile Number..

36-Aadhar card number (if Any)...

37-Date of birth (enclose the mark sheet of high school examination)........................

38-Age of applicant as on 01-07-2020.............. Day.............. Month............. Year.

39-Applicant's Marital Status- Married / Unmarried...

40-Date of marriage-...

41-Category: Unreserved / Scheduled Caste / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / Disabled...
(Attach photocopy of certificate issued by competent authority for reserved category)

42-Registration Number and Name of the Medical Council and Date.......................

g- MBBS-...
h- MD/ MS-...
i- MCH/ DM...

43-Educational Qualifications: (Enclose attested photo copies of certificates and marks sheets)

No.	Name of the Examination	Institution / Board / University	Year	Subject	Marks Obtained / Max Marks	MBBS Total Marks / percentage	effort (attempts)
1	MBBS						
2	MD/MS						
3	DM/MCH						

14-Educational experience:-

No.	Designation	From	To	Duration	Name of the Institution
1	Professor				
2	Associate Professor				
3	Asstt. Professor				
4	S.R. / Tutor / Demonstrator				

(Attach experience certificate)

15-Research Publications:-

No.	Designation	Research Publications
1	Professor	
2	Associate Professor	
3	Asstt. Professor	
4	S.R. / Tutor / Demonstrator	

(Attach Photo Copy)

16-If candidates serving in Government/ Quasi Government or Public Sector are advised to submit 'No Objection Certificate' from their employer at the time of interview, failing which their candidature may not be considered.

17-List of attached certificates as per checklist...

Place...................................

Date......................................

Full name and Signature of the Applicant